



❖ परिचय

जिसमें यह बताया गया है कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अपील को खारिज कर दिया है।


❖ मुख्य तथ्य

1. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अपील को खारिज कर दिया है।

2. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अपील को खारिज कर दिया है।

❖ निष्कर्ष

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अपील को खारिज कर दिया है।



जुस्टिस अरविंद के. सिन्हा

यह आदेश सुनवाई के लिए अपील को खारिज कर दिया है।